



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत वर्ष 2016 में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं अथवा पूर्व से प्राप्त छात्रवृत्ति के नवीकरण हेतु आवेदन करने के संबंध में।

विज्ञापित संख्या - 54/2016

सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के लिए कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत वर्ष 2016 के Top 20 Percentile के अन्तर्गत इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं 2016 वाणिज्य संकाय में उत्तीर्ण वैसे छात्र/छात्राओं इसके पात्र होंगे। जिन्होंने जैक-2016 की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण किया हो अथवा वैसे छात्र/छात्रा जिन्हें पूर्व में (2015 में Fresh) राशि प्राप्त हो चुकी हो और वर्तमान में 1st Renewal के पात्र होंगे।

उपर्युक्त Scheme के तहत सारी जानकारियाँ National e-Scholarship के Portal (<http://Scholarship.gov.in>) पर आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन Online भरने की प्रक्रिया:-

- Student Login कर New User पर Click करें।
- Student Register बटन पर Click कर अपनी विवरणी जैसे नाम, राज्य, Fresh या Renewal, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि इत्यादि शुद्ध-शुद्ध भरें।

महत्वपूर्ण सूचना:-

- Registration केवल एक बार आवश्यक है।
 - Data Submit करने से पहले सारी सूचना भली-भाँति जाँच लें।
 - Submit के पश्चात् छात्रों का Permanent Registration ID प्राप्त होगा।
 - Registration ID प्राप्त होने के पश्चात् अपना Registration ID एवं Date of Birth के द्वारा Login करें।
 - आवेदन Online भरने की अंतिम तिथि 30.09.2016 है।
 - उपर्युक्त Scheme के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिसके लिए मात्र Online आवेदन <http://scholarship.gov.in> पर किया जाना है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सिर्फ सूचना उपलब्ध कराती है।
- नोट- वित्तीय वर्ष 2016-17 से सभी प्रकार के छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र के पास आधार होना आवश्यक है एवं आधार का बैंक से Seeding आवश्यक है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(रजनीकांत वर्मा)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/CSSS/794/15/SECY/326/16

Dt. 08.09.16

D.O.P : 09.09.16